झारखंड उच्च न्यायालय रांची

सिविल रिट याचिका सं० 3773 of 2018

नागेन्द्र नाथ महतो, पिता महेंद्र महतो, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी - गांव+डाकघर - सुकुरहुट्टू, थाना - कांके, जिला रांची, राज्य - झारखंड

..... याचिकाकर्ता

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग
   झारखंड सरकार, डाकघर.+ थाना. धुर्वा, जिला: रांची, झारखंड,
3. उपायुक्त, रांची, डाकघर.+ पी.एस. एवं जिला:- रांची, झारखंड।
4. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रांची, डाकघर.+ पी.एस. एवं
   जिला:- रांची, झारखंड।
5. अंचल अधिकारी, कांके, डाकघर. एवं पी.एस.-कांके, जिला-रांची, झारखंड
6. भारत संघ अपने सचिव के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार
   नॉर्थ ब्लॉक सेंट्रल सचिवालय, राजपथ मार्ग, डाकघर.- नॉर्थ ब्लॉक,
   थाना.-नई दिल्ली, नई दिल्ली 110011
7. महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, नॉर्थ ब्लॉक सेंट्रल
   सचिवालय राजपथ मार्ग, डाकघर.- नॉर्थ ब्लॉक, थाना. -नई दिल्ली,
   नई दिल्ली -110011
8. कमांडेंट, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल, सुकुरहुतु, एटी एंड डाकघर.
   सुकुरहुतु, थाना. कांके, जिलारांची, झारखंड .....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से :श्री उपेंद्र नाथ महतो, अधिवक्ता ।
प्रतिवादियों की ओर से : श्री प्रवीण अखौरी, एस०सी० (खान I)
श्री दिवा कांत रॉय,ए०सी० एस०सी०(खान I) से
श्री प्रभात कुमार सिन्हा, अधिवक्ता ।
श्री दिवाकर झा, अधिवक्ता ।

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, हालांकि इसमें कई प्रार्थनाएं की गई हैं, लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता अपनी सभी प्रार्थनाओं को छोड़ देता है और अपनी प्रार्थना को संशोधित करता है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को नोटिस दिनांक 18.04.2011 तक अर्जित ब्याज सहित 13,88,061/- रुपये वितरित करें।

3. प्रतिवादियों के विद्वान वकील को याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने कहा कि वास्तव में याचिकाकर्ता नोटिस जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए राशि को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए।

4. बार में प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद, इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को निर्देश के साथ किया जाता है कि वे 13,88,061/- रुपये की मुआवजा राशि को नोटिस दिनांक 18.04.2011 तक के ब्याज के साथ, याचिकाकर्ता द्वारा उनसे संपर्क करने की तारीख से तीन महीने के भीतर वितरित करें, और याचिकाकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज और मुआवजा राशि की प्राप्ति की पावती प्रस्तुत करने पर भुगतान करें।

5. इस रिट याचिका का तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांकित, 7 मार्च, 2024
Smita /AFR

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।